न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज प्रार्थना पत्र बाबत् पूरण बनाम नारायण मु नं. 01/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03.02.2025	दिनांक 31.01.2025 को न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। मूल पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान से तलब करने हेतु पत्र जारी किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी मूल पत्रावली दिनांक 19.03.2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी महवा (दौसा)	
19.03.2025	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल पत्रावली प्राप्त हुई। हमने मूल पत्रावली व प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर संज्ञान में आता है कि उक्त पत्रावली में आदेश दिनांक 21.06.2024 इस प्रकार है कि " माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 33/2011 उनवान पूरन बनाम नारायण निर्णय दिनांक 03.11.2011 को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई के निर्देश दिये जाकर इस न्यायालय में भिजवाया गया। इसी बाबत् न्यायालय उप जिला कलेक्टर, नांगल राजावतान के निर्णय दिनांक 04.10.2023 के विरूद्ध निगरानी पेश हुई। परिणावत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज कर दी गई है एवं उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में जैरकार प्रकरण संख्या 68/2022 उनवान रूकमा बनाम नारायण में आगे कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान को प्रेषित की जावे।" उक्त आदेश से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही है। अतः पत्रावली मूल ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान को भेजी जावे। यदि प्रार्थी उक्त आदेश दिनांक 21.06.2024 के आदेश से संतुष्ट नही है तो उक्त आदेश की सक्षम न्यायालय में अपील कर न्याय प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार हो। आदेश सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी महवा (दौसा)	